रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1966] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938
No. 1966] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 2637(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

परंबीकुलम बाघ रिजर्व केरल राज्य के पालक्कड़ (चित्तुर तालुक) और थिरुसुर (मुकुंदापुरम) और 76^0 35' और 76^0 50' पूर्वी देशांतर और 10^0 20' और 10^0 26' उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है और 643.66 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, अधिसूचना संख्या जीओ(पी) 53/2009/वन्य और जीव, तारीख 16 दिसम्बर, 2009 द्वारा 390.89 वर्गकिलोमीटर के विस्तार को परंबीकुलम बाघ रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के रुप में अधिसूचित किया था जिसके अंतर्गत 245.12 वर्ग किलोमीटर परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य भी है, और अधिसूचना संख्या जीओ(पी) 54/2009 वन्य और जीव, तारीख 17 दिसंबर, 2009 द्वारा 252.77 वर्ग किलोमीटर के

विस्तार को परंबीकुलम बाघ रिजर्व के मध्यवर्ती के रुप में अधिसूचित किया था जिसके अंतर्गत 39.87 वर्ग किलोमीटर परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य भी है;

और, परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाटों के अन्नामलाई उप-इकाई में भूमि-भाग का एक अत्यंत संरक्षित पारिस्थितिक हिस्सा है जो केरल और तमिलनाडु राज्य के संरक्षित क्षेत्रों के अभयारण्यों से चारों दिशाओं से घिरा हुआ है, अभयारण्य पठार वनस्पति और जीव जन्तु से संपन्न है जो संपूर्ण संरक्षण और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपों के कारण उत्तम रुप से संरक्षित किया गया है ;

और, परंबीकुलम बाघ रिजर्व क्षेत्र परियोजना हाथी परियोजना के अधीन अनायमुडी हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है और जंगली हाथियों की स्वस्थ जनसंख्या को आश्रय देता है तथा कार्यन शोला वन पश्चिमी घाट प्रकृति में अंतरराष्ट्रीय संरक्षण यूनियन के अधीन विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित अभयारण्य का भाग है ;

और, परंबीकुलम बाघ रिजर्व सदाबहार वनों, अर्द्ध सदाबहार वनों, आर्द्र और शुष्क पतझड़ी शोला वनों जैसी विभिन्न आश्रय किस्मों को आश्रय देता है और अभयारण्य में वायलों के रुप में ज्ञात पर्वतीय चारागाहों और कच्छी चारागाहों जैसे अद्‌भुत आश्रय भी है ;

और, अभयारण्य की वनस्पति विविधता असामान्य है और अभयारण्य में पुष्पित पौधों की 1320 प्रजातियां और प्रमुख वनस्पति के अंतर्गत की प्रजातियां टर्मिनालिया टोमेनटोसा, टर्मिनालिया चेबुला, टर्मिनालिया पनिकुलाटा, लगेरस्ट्रोमिया लैंक्योलाटा, एनोगेसियस लटिफोलिया, टैक्टोना ग्रांडिस, होपिया परविफ्लोरा, अदिना कॉरडिफोलिया, कैसिया फिस्टुला, सिज़िगियम कुमिनि, होलोपटेलिया इंटेगरिफोलिया, लैगेरस्ट्रोमिया रेगिनी, मैनगिफेरा इंडिका, मिलिउसा टोमेनटोसा, स्टेरकुलिया अलाटा, बैम्बूसा अरुन्डिनासिया आदि हैं ;

और, परंबीकुलम बाघ रिजर्व में स्वस्थ जनसंख्या की कई संकटापन्न जंगली पशुओं में सम्मिलित बाघ, एशियन हाथी, चित्तीदार हिरण, सांभर, पिसूरी और मुंजक, गौर, नीलगिरि ताहर, लघु पुच्छ वानर, मालाबार बृहत गिलहरी, सूरज भगत और पक्षियों की 273 प्रजातियों का संभरण है;

और, परंबीकुलम बाघ रिजर्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य में फैले अभयारण्य के परंबीकुलम बाघ रिजर्व की सीमा के चारों ओर 12.76 किलोमीटर तक विस्तार वाले क्षेत्र को परंबीकुलम बाघ रिजर्व पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) तमिलनाडु राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के सिवाय परंबीकुलम बाघ रिजर्व के चारों ओर 12.76 किलोमीटर के पारिस्थितिक संवेदी जोन में फैला हुआ है और 434.97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है । पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत नेमारा प्रभाग में 43.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जिसे आरक्षित क्षेत्र के रुप में अधिसूचित किया गया है, के अलावा परंबीकुलम बाघ रिजर्व का 145.76 वर्ग किलोमीटर का नाजुक क्षेत्र और उसके मध्यवर्ती क्षेत्र का 212.90 वर्ग किलोमीटर भी है । नेमारा और वाजाचल प्रभागों की जनजातियों बस्तियों का 31.24 वर्ग किलोमीटर और 1.29 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदी जोन में भी सम्मिलित किया गया है और ऐसे जोन की सीमाओं का वर्णन **उपाबंध-I** के रुप में संलग्न है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य अवस्थितियों के अक्षांश और देशांतर के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रुप में संलग्न है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों, आरक्षित वनों, जनजातियों बस्तियों और संपदाओं की सूची **उपाबंध-III** के रुप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

(9) बाघ रिजर्व का मध्यवर्ती क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदी जोन का एक भाग है, मध्यवर्ती क्षेत्र से संबंधित बाघ संरक्षण योजना पर आंचलिक महायोजना तैयार करने के दौरान भी विचार किया जाएगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं0 18, 23, 28, 36 और 39 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय परंबीकुलम बाघ रिजर्व की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु आंचलिक महायोजना के अनुसार विद्यमान प्रतिष्ठापनों के विस्तार को अनुज्ञात किया जाएगा ।

परंतु, यह कि पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे नए होटलों और सैरगाहों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक की पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्र में अनुज्ञात की जाएगी।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा।
(10)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भू-जल के निष्कर्षण को, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक खनिज जल संयंत्र और वातित पेय बोटलिंग प्लांट भी हैं, पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। (ख) केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी स्रोत जल जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(11)	नदी और भू-क्षेत्र में ठोस अपशिष्टों/प्लास्टिक अपशिष्टों/रासायनिक अपशिष्टों का पाटन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(12)	वाणिज्यिक मत्स्य पालन और अवैज्ञानिक	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

	मत्स्य पालन ।	तथापि, जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।
(13)	नदी के किनारे अतिक्रमण और नदी तट वनस्पति का विनाश ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(14)	नदी के पत्थरों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(15)	विस्फोटक मदों का विनिर्माण और भंडारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(16)	पहाड़ियों का उत्खनन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(17)	विदेशी प्रजातियों विशेष रुप से आक्रामक प्रजातियां को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(18)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय परंबीकुलम बाघ रिजर्व की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ; परंतु आंचलिक महायोजना के अनुसार विद्यमान प्रतिष्ठापनों के विस्तार को अनुज्ञात किया जाएगा। परंतु, यह कि पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे नए होटलों और सैरगाहों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक की पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्र में अनुज्ञात की जाएगी।
(19)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
(20)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों तथा संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना का अनुसरण किया जाएगा ।
(21)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(22)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(24)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(25)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(26)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस

	उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान।	अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(27)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
(29)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	दुकानदरों द्वारा पोलिथीन के बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(32)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(33)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(34)	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(35)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(36)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(37)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(38)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(39)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर और अन्य कुटीर उद्योग आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(40)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।
(41)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(42)	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी तीन वर्ष की अवधि के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलेक्टर, इडुकी -अध्यक्ष;

(ख) जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि, थिरुसर -सदस्य;

(ग) नेमारा विधान सभा सदस्य -सदस्य;

(अन्य बातों के साथ-साथ सुसंगत अनुमोदन जिसके अंतर्गत केरल विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति, यदि अपेक्षित हो, भी है अभिप्राप्त करते हुए केरल राज्य सरकार के अध्यधीन)

(घ) विधान सभा सदस्य, चालाकुडी -सदस्य;

(अन्य बातों के साथ-साथ सुसंगत अनुमोदन जिसके अंतर्गत केरल विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति, यदि अपेक्षित हो, भी है अभिप्राप्त करते हुए केरल राज्य सरकार के अध्यधीन)

(ङ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, पलाक्कड -सदस्य;

(च) अध्यक्ष, जिला पंचायत, थिरुसुर -सदस्य;

(छ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(ज) कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(झ) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य;

(ञ) जिला अधिकारी, केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य;

(ठ) उप निदेशक, परंबीकुलम बाघ रिजर्व -सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन :

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/170/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	सीमा कलचड़ी के (400 मीटर दक्षिण) पूर्व भूभाग में नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन सीमा के बिन्दु से आरंभ होकर और पुल्लाला माला के दक्षिण-पश्चिम ढलान से नीचे की ओर धारा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और यह अवतल प्रदेश बिंदु पहुँचकर और इसके अतिरिक्त पुल्लाला माला की दक्षिण ढलान से आरंभ होकर अन्य धारा के साथ जाती है और बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ करदी भूमि विलय की उत्तरी सीमा और धारा है । वहाँ से सीमा पारा-पारा भूमि की उत्तरी और पश्चिमी सीमा और बीट राइस भूमि की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा बीट राइस भूमि की पश्चिमी सीमा से मिलती है। वहाँ से सीमा परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर पूर्व भू-भाग पर स्थित कुचीमाला परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है ।
पूर्व	वहाँ से केरल और तमिलनाडु के बीच अंतर-राज्य सीमा से कुचीमाला और पंडारावारामाला, माउंट स्ट्रॉट और करैनशोला और वेन्गोलीमाला चोटी से होते हुए जाती है और वहाँ से वारागलियार से होते हुए सीमांकित रेखा की ओर जाती है और तमिलनाडु के पालाघाट और त्रिचुर जिलों के त्रि-जंक्शन जाती है। सीमा अंतर-राज्य सीमा के साथ दक्षिण की ओर और बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ अंतर-राज्य सीमा शोलायार जलाशय के पूर्वी भाग पर मिलती है ।
दक्षिण	वहाँ से सीमा शोलायार जलाशय के उत्तरी तट के साथ पश्चिम की ओर जाकर और पुनः शोलाई ए आर के उत्तरी तट के साथ जाती है जहाँ यह वज़हाचल प्रभाग के वज़हाचल श्रेणी की पूर्वी सीमा पहुँचती है । सीमा वहाँ से वज़हाचल प्रभाग (शोलाई ए आर के साथ) की वज़हाचल श्रेणी की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाकर यह उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ ओरुकोम्बन के निकट परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा वज़हाचल प्रभाग के शोलायार श्रेणी के उत्तर पश्चिम भू-भाग से मिलती है । वहाँ से परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाकर यह उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ मुदुराचल में कारापारा नदी को पार करके ट्रेमवे रेखा है । वहाँ से सीमा कावला छोर की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाकर और कावला में समाप्त होती है।
पश्चिम	वहाँ से सीमा पुण्डी मुदी (1116मीटर एम एस एल) से नीचे की ओर होते हुए धारा के साथ उत्तर की ओर जाती है और पुण्डी मुदी चोटी पर चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा पर समाप्त होती है । वहाँ से यह चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य और वेल्लीकुलांगारा श्रेणी के बीच सीमा के साथ उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है फिर यह त्रि-जंक्शन बिंदु को छुती है जहाँ चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य, वेल्लीकुलांगारा श्रेणी और अलाथुर श्रेणी से मिलती है । वहाँ से सीमा इसके अतिरिक्त वेल्लीकुलांगारा श्रेणी की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ नेल्लीयमपैथी श्रेणी के पदागिरि छोर की दक्षिण पश्चिम सीमा, यू टी टी कम्पनी भूमि की दक्षिण पूर्व सीमा और वल्लीकुलांगरा श्रेणी की उत्तरी सीमा की ओर अभिमुख होती है । वहाँ से सीमा नेल्लीयमपैथी श्रेणी की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और आरंभिक बिंदु पर समाप्त होती है ।

2) **परंबीकुलम बाघ रिजर्व के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत परंबीकुलम पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

क) नेम्मारा वन प्रभाग के अंतर्गत मध्यवर्ती जोन के पारिस्थितिक संवेदी जोन का रुप भाग (नेम्मारा प्रभाग के नेल्लीयमपैथी श्रेणी में पदागिरि, थिरुवज़हीयोद और पोथुन्दी विभागों के भाग-46.27 वर्ग किलोमीटर) ।

उत्तर	सीमा नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन के उत्तरी मुख्य बिंदु से प्रारंभ होकर (नगर माला के निकट और 406 मीटर ऊचाँई के साथ पहाड़ी के दक्षिण में लगभग 250 मीटर पर अवस्थित है) और पूली माला से होते हुए नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, जहाँ यह गोविंदा माला भूमि की पश्चिमी सीमा से मिलती है ।
पूर्व	वहाँ से सीमा नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है फिर यह पुलायामपारा सरकार फार्म की पश्चिमी सीमा से मिलती है और इसके अतिरिक्त पुलायामपारा सरकार फार्म, चन्द्रामाला भूमि, मानालरु भूमि, पोथुन्दु भूमि, लिली भूमि, पुल्लाला भूमि, विक्टोरिया भूमि की पश्चिमी सीमाओं के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ पुल्लाला माला (1444 एम.एस.एल) के दक्षिणी भाग से धारा आरंभ होती है और करदी भूमि की उत्तरी सीमा के साथ विलय होकर और दक्षिण की ओर नीचे बहती है ।
दक्षिण	वहाँ से सीमा ऊपर की ओर धारा के साथ उत्तर की ओर जाकर फिर यह अवतल बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त पुल्लाला माला की दक्षिण पश्चिम ढलान पर अन्य धारा के साथ प्रारंभ होकर और कलचदी (400 मीटर दक्षिण) के दक्षिण पूर्व भू-भाग में नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन सीमा पर समाप्त होती है ।

पश्चिम	वहाँ से सीमा नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन सीमा के साथ उत्तर की ओर जाकर और आरंभिक बिंदु पर समाप्त होती है।

(ख) चालाक्कुदी प्रभाग के वेल्लीकुलांगरा श्रेणी में कावला विभाग के पारिस्थितिक संवेदी जोन रुप भाग की सीमा का विवरण-5.35 वर्ग किलोमीटर

उत्तर	सीमा 838 मीटर एम. एस. एल के साथ पहाड़ी के पूर्व 850 मीटर और पुण्दी मुदी के पश्चिम में 1 किलोमीटर (जहाँ मुपिली पुज़हा की सहायक प्रारंभ होकर और दक्षिण की ओर बहती है) के बीच अवतल बिंदु से आरंभ होती है वहाँ से चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाकर और पुण्दी मुदी चोटी पर समाप्त होती है।
पूर्व	वहाँ से सीमा पुण्डी मुदी से नीचे की ओर बह कर धारा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और कवाला पर समाप्त होती है।
दक्षिण	वहाँ से सीमा कवाला विभाग (एवं ट्रेमवे रेखा) जो कि अनापनटन कि दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ मोपली पुज़हा के साथ विलय होकर आरंभिक बिंदु से सहायक प्रारंभ होती है।
पश्चिम	वहाँ से सीमा मुपली पुज़हा की सहायक के साथ उत्तर की ओर जाती है और आरंभिक बिंदु पर समाप्त होती है।

(ग) चलकुडी प्रभाग के परियरम श्रेणी के करीकादवु स्टेशन के पारिस्थितिक संवेदी जोन रुप की सीमा का विवरण-6.06 वर्ग किलोमीटर

उत्तरी	सीमा अनापनटन से आरंभ होकर, जहाँ मुप्पली पुज़हा की दो सहायकें बनती है और इसके बाद कावला विभाग की दक्षिणी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ यह वज़हाचल वन प्रभाग की चरपा श्रेणी (कन्नाकुज़हीथोदु) की पश्चिमी सीमा से मिलती है।
पूर्व	यहाँ से सीमा कन्नाकुज़हीथोदु के साथ चरपा श्रेणी की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ छोटी सहायक, 790 मीटर एम.एस.एल और 800 मीटर एम.एस.एल बिंदुओं के बीच अवतल बिंदु से प्रारंभ होती है, कुंदुरमेदु प्रपात की ऊपरी धारा लगभग 1 किलोमीटर में कन्नाकुज़हीथोदु के साथ मिलती है।
दक्षिण और पश्चिम	सीमा वहाँ से छोटी सहायक के साथ पश्चिम की ओर जाती है और अवतल बिंदु की श्रेणी को पार करके और इसके अतिरिक्त धारा के साथ पश्चिम की ओर जाती है, जो आरंभिक बिंदु के नीचे की ओर जाती है।

(घ) वज़हाचल वन प्रभाग की पारिस्थितिक संवेदी जोन का रुप भाग

i) वज़हाचल प्रभाग के चरपा श्रेणी में कन्नाकुज़ही वन स्टेशन के करनथोदु विभाग की सीमा का विवरण -26.63 वर्ग किलोमीटर (सागौन बागान के 6.99 वर्ग किलोमीटर में सम्मिलित)

उत्तर	चरपा श्रेणी की उत्तरी सीमा।
पूर्व	वहाँ से सीमा त्रि-जंक्शन बिंदु से आरंभ होती है जहाँ परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा, चरपा श्रेणी की उत्तर पूर्वी सीमा और मुक्कुमपुज़हा वन स्टोशन की उत्तर पश्चिमी सीमा से मिलती है और इसके बाद चरपा श्रेणी (चलकुदी ए आर के साथ) की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाकर और करनथोदु पर समाप्त होती है।
दक्षिण	वहाँ से सीमा धारा के साथ सागौन बागान से होते हुए नीचे की ओर बहती है और पश्चिम की ओर जाती है फिर यह बिंदु पहुँचकर जहाँ लक्ष्मीकयात्तम से धारा और 871 मीटर एम. एस. एल. से अन्य धारा प्रारंभ होकर मिलती है। वहाँ से सीमा धारा के साथ उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, जो 552 मीटर एम. एस. एल. के पूर्व की ओर बहती है और 871 मीटर एम. एस. एल. से प्रारंभ होती है, यह 871 एम. एस. एल. ऊचाँई के बिंदु पर श्रेणी पहुँचती है। इसके अतिरिक्त

	सीमा 917 मीटर एम. एस. एल. (पुटनटन मुदी) से होते हुए श्रेणी के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त श्रेणी के साथ पश्चिम की ओर जाकर यह पुटनटन मुदी (चरपा पदम के पश्चिम पर 842 मीटर एम. एस. एल. और 749 मीटर एम. एस. एल. के बीच) से प्रारंभ होकर सहायक से मिलती है और पुनः सहायक नदी के साथ यह चरपा श्रेणी (कन्नाकुज़हीथोदु) के पश्चिमी सीमा से मिलती है।
पश्चिम	सीमा वहाँ से चरपा श्रेणी की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाकर और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ परियरम श्रेणी की उत्तर पूर्वी सीमा, चरपा श्रेणी की उत्तर पश्चिमी सीमा और वेल्लीकुलांगरा श्रेणी की दक्षिणी सीमा से मिलती है।

i) वज़हाचल प्रभाग की वज़हाचल श्रेणी के मुक्कुमपुज़हा वन स्टेशन के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण - 50.24 वर्ग किलोमीटर

उत्तर	सीमा बिंदु से आरंभ होकर जहाँ मुदुवरचल धारा वज़हाचल –परंबीकुलम के बीच सड़क को पार करके जाती है और मुदुवरचल धारा के साथ बिंदु की ओर जाती है जहाँ परंबीकुलम नदी और मुदुवरचल धारा विलय होती है। वहाँ से परंबीकुलम नदी के साथ दुबारा यह परंबीकुलम नदी और शोलायार नदी का विलय बिंदु है। वहाँ से इसके अतिरिक्त शोलायार नदी से होकर ओरुकोम्बन की ओर जाती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ सीधी रेखा शोलायार नदी काटती हुई चलाक्कुडी और अनामली के बीच सड़क पर 57 मील पत्थर की ओर जाती है।
पूर्व	वहाँ से सीमा जहाँ शोलायार नदी काटती हुई सीधी रेखा में चलाक्कुडी और अनामली के बीच सड़क पर 57 मील पत्थर की ओर जाती है और सीधी रेखा के साथ दक्षिण की ओर जाकर और चलाक्कुडी और अनामली के बीच सड़क के 57 मील पत्थर पर समाप्त होती है।
दक्षिण	सीमा वहाँ से चलाक्कुडी और अनामली के बीच सड़क 57 मील पत्थर से होकर जाती है और सड़क के साथ पश्चिम की ओर यह अनाकायाम पुल की ओर जाती है। वहाँ से इसके अतिरिक्त पोरिंगलकुट्टु जलाशय के दाईं भाग तट के साथ जाकर और पोरिंगलकुट्टु डैम पर समाप्त होती है।
पश्चिम	सीमा वहाँ से पोरिंगलकुट्टु डैम से और डैम को पार करने के बाद चलाक्कुडी नदी दाईं भाग तट के साथ जाती है और आरंभिक बिंदु पर समाप्त होती है।

ii) वज़हाचल वन प्रभाग (मालकापारा) के शोलायार श्रेणी के पारिस्थितिक संवेदी जोन के रुप भाग की सीमा का विवरण-78.35 वर्ग किलोमीटर

उत्तर	सीमा बिंदु से आरंभ होकर जहाँ वज़हाचल प्रभाग की वज़हाचल श्रेणी की पूर्वी सीमा के साथ शोलाई ए आर मिलती है और शोलाई ए आर के उत्तरी तट के साथ पूर्व की ओर दुबारा जाती है। वहाँ से, शोलायार जलाशय के उत्तरी तट के साथ पूर्व की ओर जाकर और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ अंतर-राज्य सीमा जलाशय सीमा के साथ मिलती है।
पूर्व	वहाँ से सीमा अंतर-राज्य सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाकर और उस बिंदु पर मिलती है जहाँ वज़हाचल प्रभाग की शोलायार श्रेणी दक्षिण पूर्व सीमा के साथ मालायाट्टुर वन प्रभाग की उत्तरी सीमा से मिलती है।
दक्षिण	वहाँ से वज़हाचल वन प्रभाग की शोलायार श्रेणी की दक्षिणी सीमा पश्चिम की ओर जाती है और कोल्लाथिरुमेदु श्रेणी और वज़हाचल वन प्रभाग की शोलायार श्रेणी और मालायाट्टुर वन प्रभाग की ईदानालायार के श्रेणी के त्रि-जंक्शन बिंदु पर समाप्त होती है।
पश्चिम	सीमा वहाँ से वज़हाचल वन प्रभाग के शोलायार श्रेणी के पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाकर और आरंभिक बिंदु पर समाप्त होती है।

3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के उत्तरी सीमा की सीमा का विवरण जिसमें परंबीकुलम बाघ रिजर्व के मध्यवर्ती एवं कोर के अंतर्गत नहीं है (नेम्मारा प्रभाग के अंतर्गत)

उत्तर	वरयादु पहाड़ियों के निकट नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन और पुथुनदी भूमि की सीमा पर स्थित कैरन सं. 23-87/88 से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर नुरादी सड़क पहुँचती है, इसके बाद सड़क के साथ मुड़कर, मीरा फ्लोरेस मंदिर जंक्शन पहुँचती है इसके बाद नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन के बीच आती है। इसके बाद वन सड़क के साथ मुड़कर बिंदु पहुँचकर जहाँ उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर, मट्टुमाला पहुँचती है। इसके बाद सीधी रेखा में उसी दिशा में मुड़कर लगभग 1.5 किलोमीटर खड़ी चट्टान से होते हुए वीत्तीयार नदी बिंदु पहुँचती है। कोलेनगोदु श्रेणी का थेक्कदी स्टेशन की अनामद बिंदु नदी का अंतिम बिंदु है। इसके बाद यह इसके अतिरिक्त सुनगम श्रेणी सीमा की सीमाओं से 1 किलोमीटर कोलेनगोदु श्रेणी का थेक्कदी स्टेशन की ओर जाकर और अलिमूपन और 30 एकड़ कालोनी से होते हुए जाती है और कोचीमुदी को छूती है।
पूर्व	परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमाएं
दक्षिण	परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमाएं
पश्चिम	परंबीकुलम बाघ रिजर्व कोर क्षेत्रों की पूर्वी सीमाएं

परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य का पूर्वी भाग संपूर्ण रुप से तमिलनाडु के इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और अनामलाई बाघ रिजर्व के संरक्षित क्षेत्रों के साथ सीमांकित है। अतः पारिस्थितिक संवेदी जोन के परंबीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा से कोई क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

उपाबंध–II

अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

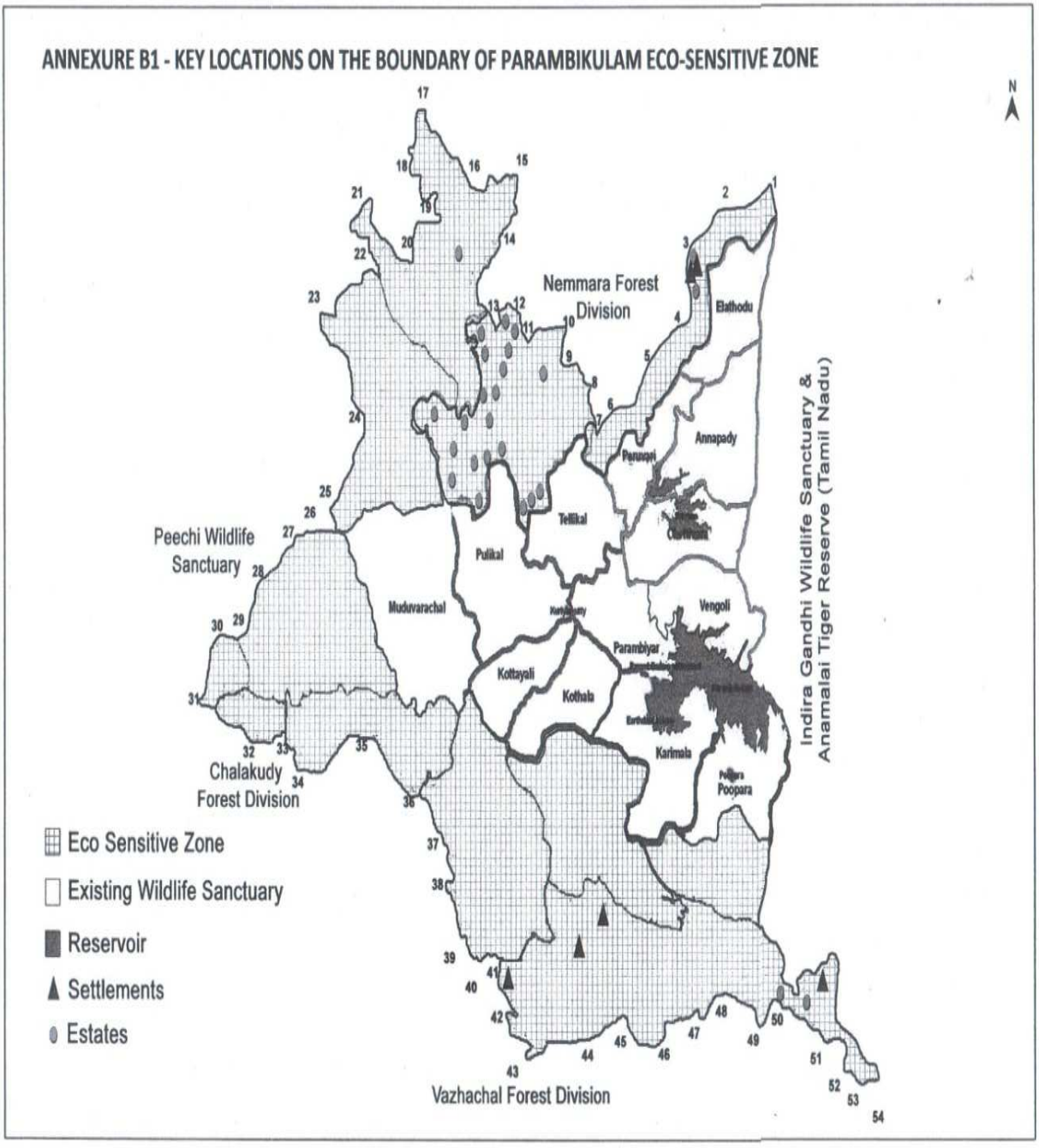

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के अक्षांशों और देशांतरों के मुख्य अवस्थान

मानचित्र की अवस्थिति	अक्षांश	देशांतर
1	10.5465	76.8435
2	10.5425	76.8151
3	10.5295	76.7898
4	10.5086	76.7862
5	10.4906	76.7680
6	10.4751	76.7456
7	10.4702	76.7345
8	10.4806	76.7314
9	10.4896	76.7152
10	10.4996	76.7172
11	10.4966	76.6959
12	10.5051	76.6909
13	10.5051	76.6706
14	10.5285	76.6807
15	10.5524	76.6909
16	10.5495	76.6640
17	10.5754	76.6346
18	10.5524	76.6255
19	10.5390	76.6437
20	10.5255	76.6275
21	10.5405	76.5971
22	10.5210	76.6077
23	10.5061	76.5747
24	10.4707	76.5976
25	10.4437	76.5788
26	10.4367	76.5834
27	10.4370	76.5681
28	10.4330	76.5575
29	10.4200	76.5403
30	10.4016	76.5256
31	10.4006	76.5139
32	10.3796	76.5022
33	10.3657	76.5347
34	10.3692	76.5524
35	10.3557	76.5616

मानचित्र की अवस्थिति	अक्षांश	देशांतर
36	10.3677	76.5986
37	10.3482	76.6249
38	10.3343	76.6462
39	10.3218	76.6488
40	10.3009	76.6549
41	10.2924	76.6645
42	10.2954	76.6787
43	10.2799	76.6843
44	10.2645	76.6888
45	10.2694	76.7304
46	10.2759	76.7512
47	10.2689	76.7761
48	10.2769	76.7933
49	10.2839	76.8126
50	10.2729	76.8303
51	10.2779	76.8440
52	10.2670	76.8694
53	10.2550	76.8897
54	10.2505	76.9018

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत ग्रामों, आरक्षित वनों, जनजातीय व्यवस्था और संपदाओं की सूची

क्र. सं.	जिला	तालुक	ग्राम	अवस्थिति (आंशिक/पूर्ण)
1	पालाक्कड	चित्तुर	मुथालमाडा	भाग
2			नेल्लीयमपैथी	भाग
3	थ्रिस्सुर	मुकुन्दापुरम	कुट्टीचिरा	भाग
4			कोदास्सेरी	भाग
5			वेल्लीकुलांगरा	भाग
6			परियारम	भाग

परंबीकुलम पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आरक्षित वनों का विवरण

क्र. सं.	जिला	आरक्षित वनों के नाम	विस्तार (वर्ग किलोमीटर)	अधिसूचना की तारीख	प्रशासनिक नियंत्रण
1	पालाक्कड	नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन	133.04	8.5.1909 खंड. एक्स एल (111 पृष्ठ सं.556)	प्रभागीय वन अधिकारी, नेम्मारा
2		नेम्मारा भाग के अंतर्गत आने वाली भूमि	23.10		प्रभागीय वन अधिकारी, नेम्मारा
3		नेम्मारा के अंतर्गत आने वाले ग्राम	0.61		प्रभागीय वन अधिकारी, नेम्मारा
4	थ्रिस्सुर	कोदास्सेरी असर्वेक्षित रिजर्व	53.65	16 सितम्बर, 1909 कोचिन सरकार राजपत्र	प्रभागीय वन अधिकारी, चलाक्कुडी
5		अथिरापिल्ली रिजर्व	215.75		प्रभागीय वन अधिकारी, वज़हाचल
6		कोदास्सेरी रिजर्व			
7		वज़हाचल भाग के अंतर्गत आने वाली भूमि क्षेत्र	8.14		प्रभागीय वन अधिकारी, वज़हाचल
8		अथियापली और वज़हाचल प्रभाग के कोदासेरी रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ग्राम	0.68		प्रभागीय वन अधिकारी, वज़हाचल
	कुल		**434.97**		

परंबीकुलम पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जनजतीय व्यवस्था की सूची

क्र.सं.	व्यवस्था का नाम	जनजाति का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	समूहों की सं.	जी पी एस	
					अक्षांश	देशांतर
1	अल्लीमूप्पन कॉलोनी	कदर, ईरुलार, मलास्सर	28.26	84	10.522714	76.795385
2	30 एकड़ कॉलोनी	कदर, मलास्सर	33.00	240	10.518786	76.798003
3	शोलायार बिजली घर	कदर	2.12	43	10.310788	76.741765
4	थवलाकुज़हीपारा	मलायन	14.66	39	10.288795	76.678477
5	मलाक्काप्पारा	कदर	50.00	43	10.288055	76.872512
6	अनाकयम	कदर	1.90	13	10.303952	76.728672

परंबीकुलम पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत संपदाओं की सूची

क्र. सं.	भूमि का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्तमान स्थिति	बागान
1	पदागिरि	2.465	पट्टा	काली मिर्च और कॉफी
2	पोथुंदी	164.601		काली मिर्च और कॉफी
3	पोथुपारा	136.061		काली मिर्च और कॉफी
4	सूर्याप्पारा	236.035		काली मिर्च और कॉफी
5	लिली	86.434		काली मिर्च और कॉफी
6	करादीमाला	110.391		काली मिर्च और कॉफी
7	ओरिंटल	192.875		काली मिर्च और कॉफी
8	पूर्व पुल्लाला	40.752		कॉफी
9	पश्चिम पुल्लाला	56.369		काली मिर्च और कॉफी
10	15 एकड़ भूमि	6.000		रबड़, कॉफी, और काली मिर्च
11	रोसरी भूमि	99.786	सरकार को निहित	रबड़, कॉफी काली मिर्च, और इलायची.
12	विक्टोरिया	250.683		इलायची
13	बीटराइस	190.301		कॉफी, काली मिर्च और इलायची
14	मीरा पुष्पित भूमि	133.324		कॉफी, काली मिर्च, और इलायची
15	थुथानप्पारा	142.19		कॉफी और काली मिर्च
16	पूवमकदवु भूमि	48.56		कॉफी, काली मिर्च, रबड़ और नारियल
17	कराप्पारा ए और बी	452.637	पुन: प्राप्त करने की विचाराधीन प्रक्रिया	कॉफी, काली मिर्च, और इलायची
18	एलेक्जेनडरिया	378.203		इलायची, कॉफी, और काली मिर्च
19	राजाकाड (थोट्टाकदी)	116.895		इलायची, कॉफी, और काली मिर्च
20	मनगुथ	116.571		इलायची, कॉफी, और काली मिर्च
21	ब्रूकलैण्ड	101.173		कॉफी और काली मिर्च
22	के.एफ.डी.सी. (पकुथीपलाम)	123.00	के.एफ.डी.सी. के अंतर्गत	कॉफी, काली मिर्च और इलायची
23	के.एफ.डी.सी. (पोथुमाला)	105.00		कॉफी, काली मिर्च और इलायची
24	चेरुनेल्ली	112.50	पुन: प्राप्त करने की विचाराधीन प्रक्रिया	कॉफी, काली मिर्च और रबड़
25	मालाक्काप्पारा	778.54	पट्टा	रबड़, कॉफी और चाय
26	पेरुमपारा	35.180		रबड़, कॉफी और चाय

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रुप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2016

S.O. 2637(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in

Draft Notification

S.O…… WHEREAS, the Parambikulam Tiger Reserve is situated between the longitudes 76^0 35´ and 76^0 50´ east and latitudes 10^0 20´ and 10^0 26´ north in Palakkad (Chittur taluk) and Thrissur (Mukundapuram) districts of state of Kerala and is spread over an area of 643.66 square kilometres;

AND WHEREAS, the Government of Kerala notified an extent of 390.89 square kilometres as core area of Parambikulam Tiger Reserve *vide* notification No. GO (P) 53/2009/F& WLD, dated the 16th December 2009, which includes 245.12 square kilometres of Parambikulam Wildlife Sanctuary and an extent of 252.77 square kilometre was notified as buffer of Parambikulam Tiger Reserve *vide* notification No. GO (P) 54/2009/F & WLD, dated the 17th December, 2009 which includes an area of 39.87 square kilometre of the Parambikulam Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, Parambikulam Wildlife Sanctuary is the most protected ecological piece of land in Anamalai sub unit of Western Ghats, surrounded on all sides by protected areas and sanctuaries of states of Kerala and Tamil Nadu, the sanctuary is endowed with a peninsular flora and fauna which are excellently conserved due to total protection and minimal human interferences;

AND WHEREAS, Parambikulam Tiger Reserve area forms an integral part of the Anaimudi Elephant Reserve under Project Elephant and supports healthy population of wild elephants and the Karian Shola Forest is a part of the sanctuary included in the world heritage site under International Conservation Union in the Western Ghats Landscape;

AND WHEREAS, the Parambikulam Tiger Reserve supports diverse habitat types like evergreen forests, semi evergreen forests, moist and dry deciduous and shola forests and the sanctuary also has unique habitats like montane grasslands and marshy grasslands known as vayals;

AND WHEREAS, the floral diversity of the sanctuary is extraordinary and the sanctuary has 1,320 species of flowering plants and the dominant vegetation comprises of species of *Terminalia tomentosa, Terminalia chebula, Terminalia paniculata, Lagerstromia lanceolata, Anogeissus latifolia, Tectona grandis, Hopea parviflora, Adina cordifolia, Cassia fistula, Syzygium cumini, Holoptelea integrifolia, Lagerstroemia reginae, Mangifera indica, Miliusa tomentosa, Sterculia alata, Bambusa arundinacea etc.;*

AND WHEREAS, the Parambikulam Tiger Reserve supports healthy population of several endangered wild animals including Tiger, Asian elephant, spotted deer, sambar, mouse deer and barking deer, gaur, nilgiri tahr, lion-tailed macaques, Malabar giant squirrel, flying squirrel and 273 species of birds;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Parambikulam Tiger Reserve as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to an extent of 12.76 kilometers around the boundary of Parambikulam Tiger Reserve in the State of Kerala as the Parambikulam Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)The extent of Eco-Sensitive Zone is spread up to 12.76 kilometers around the boundary of Parambikulam Tiger Reserve except for the interstate boundary with the State of Tamil Nadu and is spread over an area of 434.97 square kilometre. The Eco-sensitive Zone includes 145.76 square kilometre of critical tiger habitat and 212.90 square kilometre of buffer area of Parambikulam Tiger Reserve, apart from that an area of 43.78 square kilometre are notified reserve forests in Nemmara division. An area of 31.24 square kilometre and 1.29 square kilometre of tribal settlements of Nemmara and Vazhachal divisions are also included in the Eco-sensitive Zone and the boundary description of such zone is appended as Annexure-I.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude of key locations on the boundary of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II**

(3) The list of the villages, reserved forests, tribal settlements and estates falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(viii) State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation,

(ix) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) As the buffer zone of the Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation Plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during preparation of the Zonal Master Plan.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 18, 23, 28, 36 and 39 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads,

(iii) small scale industries not causing pollution,

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Kerala in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Kerala.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Parambikulam Tiger Reserve except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan:

Provided further that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Area till the extent of the Eco-sensitive Zone the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Zonal Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. Permitted for bonafide use of tribals.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
10.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including commercial mineral water plants and aerated drinks, bottling plants shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone; (b) the extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
11.	Dumping of solid wastes or plastic wastes or chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Commercial fishing and unscientific fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However, permitted for bonafide use of tribals.
13.	Encroachment of river banks and destruction of river bank vegetation.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14.	Collection of river stones.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
16.	Excavation of hills.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
17.	Introduction of exotic species especially invasive species	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

Regulated Activities		
18.	Establishment of eco-friendly tourism hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities: Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan: Provided further that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Area up to the extent of the Eco-sensitive Zone construction of hotels and resorts may be permitted as per Zonal Master Plan.
19.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that beyond one kilometer upto the extent of the Eco-sensitive Zone commercial construction may be permitted as per Zonal Master Plan; (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
20.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of reserve forests and protected forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
21.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
23.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
25.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.

26.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
30.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
31.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
32.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
33.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
34.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
35.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans and other cottage industries.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted.
41.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) The District Collector, Idukki - Chairman;

(b) Representative of the District Collector, Thrissur – Member;

(c) The Member of Legislative Assembly, Nemmara - Member ;

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(d) The Member of Legislative Assembly, Chalakudy – Member;

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(e) President, District Panchayat, Palakkad – Member ;

(f) President, District Panchayat, Thirssur – Member;

(g) one representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Kerala – Member ;

(h) one expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of university in the State to be nominated by the Government of Kerala – Member ;

(a) Member of the State Biodiversity Board - Member;

(j) District Officer, Kerala Pollution Control Board - Member;

(k) Deputy Director, Parambikulam Tiger Reserve - Member-Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/170/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE

North	The boundary commences from a point on the Nelliampathy RF boundary at the south-east corner of Kalchadi (400m south) and proceeds towards south-east along a stream that flows down from south-west slope of Pullala Mala and till it reaches the saddle point and further along another stream that originates on the south slope of Pullala Mala and ends at a point where the stream and the northern boundary of Karadi estate merges. Thence the boundary proceeds along the northern and western boundary of Karapara estate, and western boundary of Beatrice estate and ends at the point where the western boundary of Beatrice estate meets the northern boundary of Parambikulam Wildlife Sanctuary. Thence the boundary proceeds towards east along the northern boundary of Parambikulam Wildlife Sanctuary till Kuchimala located on the north east corner of Parambikulam Wildlife Sanctuary.
East	Thence, along the inter-state boundary between Kerala and Tamil Nadu from Kuchimala and passing Pandaravaramala, Mount Stuart and Karianshola and Vengolimala peak and thence through the demarcated line passing Varagaliyar and upto the tri-junction of Palghat and Trichur Districts and Tamil Nadu. The boundary proceeds towards south along the interstate boundary and ends at a point where eastern part of Sholayar Reservoir meets the interstate boundary.
South	Thence the boundary proceeds towards west along the northern bank of Sholayar Reservoir and continues along the northern bank of Sholai Ar till it reaches the eastern boundary of Vazhachal Range of Vazhachal Division. The boundary thence proceeds towards north along the eastern boundary of Vazhachal Range of Vazhachal Division (along the Sholai Ar) till a point where the north-western corner of the Sholayar Range of Vazhachal Division meets the southern boundary of Parambikulam Wildlife Sanctuary near Orukomban. Thence proceeds towards west along the southern boundary of Parambikulam Wildlife Sanctuary till the point where the tramway line crosses the Karapara river at Mudurachal. Thence the boundary proceeds towards west along the southern boundary of Kavala Outpost and ends at Kavala.
West	Thence the boundary proceeds towards north along a stream that comes down from Pundi Mudi (1116m MSL) and ends on the southern boundary of Chimmony Wildlife Sanctuary at Pundi Mudi peak. Thence it runs in north-eastern direction along the boundary between Chimmony Wildlife Sanctuary, Vellikulangara Range and Alathur Range meet. Thence the boundary further proceeds towards east along the northern boundary of Vellikulangara Range and ends at a point where south-west boundary of Padagiri Outpost of Nelliampathy Range, south-east boundary of UTT company Estate and the northern boundary of Vellikulangara Range converge. Thence, the boundary proceeds towards north along the western boundary of Nelliampathy Range and ends at the starting point.

2) **BOUNDARY DESCRIPTION OF PARAMBIKULAM ECOSENSITIVE ZONE FALLING IN BUFFER AREA OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE**

a) Eco-sensitive Zone forming part of Buffer Zone within Nemmara Forest Division (parts of Padagiri, Thiruvazhiyod and Pothundy Sections in Nelliampathy Range of Nemmara Divion-46.27 km^2)

North	The boundary commences from the northern most point of Nelliampathy RF (near Nagar Mala and situated at about 250m south of a hill with 406m height) and proceeds towards south-east along the Nelliampathy RF boundary through Pulimala, till it meets the western boundary of Govinda Mala estate.

East	Thence the boundary proceeds towards south along the Neliampathy RF boundry till it meets the western boundry of Pulayampara Government Farm and further proceeds towards south-west along the western boundaries of Pulayampara Government Farm, Chandramala ESTATE, Manalaru Estate, Pothundu estate, Lily estate, Pullala estate, Victoria estate and ends at a point where a stream that originates from southern side of Pullala Mala (1444 MSL) and flowing down towards south and merges with the northern boundary of Karadi estate.
South	Thence the boundary proceeds towards north along the stream upward till it reaches the saddle point and further along another stream that originates on the south-west slope of Pullala Mala and ends at the Nelliampathy RF boundary at south-east corner of Kalchadi (400m south).
West	Thence the boundary proceeds towards north along Nelliampathy RF boundary and ends at the starting point.

(b) **Boundary description of Eco-sensitive Zone forming part of Kavala Section in Vellikulangara Range of Chalakkudy Division-5.35 km^2**

North	The boundary starts from a saddle point between 850m east of a hill with 838m MSL and 1km west of Pundi Mudi (where a tributary of Mupili Puzha originates and flows down towards south) thence proceeds towards east along the southern boundary of Chimmony Wildlife Sanctuary and ends at Pundi Mudi peak.
East	Thence the boundary proceeds towards south along a stream that flows down from Pundi Mudi and ends at Kavala
South	Thence the boundary proceeds towards west along the southern boundary of Kavala Section (or the Tramway line) via. Anapantan and ends at a point where a tributary originationg from the starting point

(c) Boundary description of Eco-sensititive Zone forming parts of Karikadavu Station of Pariyaram Range of Chalakudy Division-6.06 km^2

North	The boundary starts from Anapantan, where two tributaries form Muppli Puzha, and then proceeds towards east along the southern boundary of Kavala Section up to a point where it meets the western boundary of Charpa Range (Kannakuzhithodu) fo Vazhachal Forest Division.
East	Thence, the boundary proceeds towards south along the western boundary of Charpa range along Kannankuzhi thodu and ends at a point where a small tributary, originating from a saddle point between points 790m MSL and 800m MSL, meets with Kannankuzhi thodu at about 1 km upstream of Kundurmedu falls.
South & West	The boundary thence proceeds towards west along the above-said small tributary and crosses the furtherwest along the stream, which eventually flows down to the starting point.

(d) Eco-sensitive Zone forming part of Vazhachal Forest Division

ii) Boundary description of Karanthodu section of Kannankuzhy Forest Station in Charpa Range of Vazhachal Division-26.63 km^2

North	The northern boundary of Charpa Range.
East	Thence the boundary starts from the tri-junction where southern boundary of Parambikulam Wildlife Sanctuary, north-eastern boundary of Charpa Range and north-western boundry of Mukkumpuzha Forest Stateion meet and then proceeds towards south along the western boundary of Charp Range (along Chalakkudy Ar) and ends at Karanthodu.
South & West	The boundary thence proceeds towards west along the above-said small tributary and crosses the ridge on the saddle point and proceeds further west along the stream, which eventually flows down to the starting point.

ii) Boundary description of Eco-sensitive zone falling in Mukkumpuzha Forest Station of Vazhachal Range of Vazhachal Division-50.24 km^2

North	The boundary starts from a point where the Muduvarachal stream crosses the road between Vazhachal-Parambikulam and proceeds along the Muduvarachal stream till a point where Parambikulam river and Muduvarachal stream merges. Thence continue along the Parambikulam river till a merging point of Parambikiulam river and Sholayar river. Thence further proceeds along the Sholayar river via. Orukomban and ends at a point where a straight line towards north form 57 th milestone on the road between Chalakkudy and Anamali that cut across the Sholayar river.
East	Thence the boundary proceeds from a point where the Sholayar river that cut across a straight line towards north form 57th milestone on the road between Chalkkudy and Anamali and proceeds towards south along a straight line and ends at the 57th milestone on the road between Chalkkudy and Anamali.
South	The boundary thence proceeds from 57th milestone on the road between Chalakkudy and Anamali and follows te road towards west till the Anakayam Bridge. Thence further proceeds along the right side bank of Poringalkuttu Reservoir and ends at Poringalkuttu Dam.
West	The boundary thence proceeds from the Poringalkuttu Dam and after cutting across the dam follows along the right side bank of Chalakkudy River and ends the starting point.

iii) Boundary descriptionof Eco-sensitive zone forming part of Sholayar Range of Vazhachal Forest Division (Mlakapara)-78.35 km^2

North	The boundary starts from the point where Sholai Ar meets with the eastern boundary of Zazhachal Range of Vazhachal Division and continues towards east along the northern bank of Sholai Ar. Thence, proceeds towards further east along the northern bank of Sholayar Resrvoir and ends at a point where the Reservoir boundary meets with interstate boundary.
East	Thence, the boundary proceeds towards south-east along the interstate boundary and ends at the point where northern boundary of Malayattur Forest Division meets with the south-east boundary of Sholayar Range of Vazhachal Division.
South	Thence, proceeds towards west along the southern boundary of Sholayar Range of Vazhachal Forest Division and ends at the tri-junction of Kollathirumedu Range and Sholayar Range of Vazhachal Forest Division, and Edamalayar Range of Malayattur Forest Divion.
West	The boundary thence proceeds towards north along the western boundary of Sholayar Range of Vazhachal Forest Division and ends at athe starting point.

3) Boundary descriptions of Eco-sensitive Zone on the Northern boundary which does not fall in core or buffer or Parambikulam Tiger Reserve (Within Nemmara Division).

North	Starting from cairn no. 23-87/88 situated at the boundary of Pothundi estate and Nelliyampahy RF near to Varayadu Hills, moving towards south-west direction reaching nooradi road, then moving along the road, reaching Meera flores temple junction, then entering into Nelliyampathi RF. Then moving along the forest road reaches a point from where taking turn to north-east direction, reaches Mattumala. Then moving in same direction in a straight line about 1.5 km through the cliff reaches a point in Veettiyar river. Te end point in the river is actually in Anamad beat of Thekkady state on of Kollengodu Range. Then it further proceeds in the Tekkady sections of Kollengodu range one kilometer from the boundaries of Sungam range boundary and passes through A limoopan and 30 acre colony and touches the Koochimudi.
East	Northern Boundaries of Parambikulam Wildlife Sanctuary
South	Western boundaries of Parambikulam Wildlife Sanctuary
West	Eastern boundaries of core area of Parambikulam tiger reserve

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

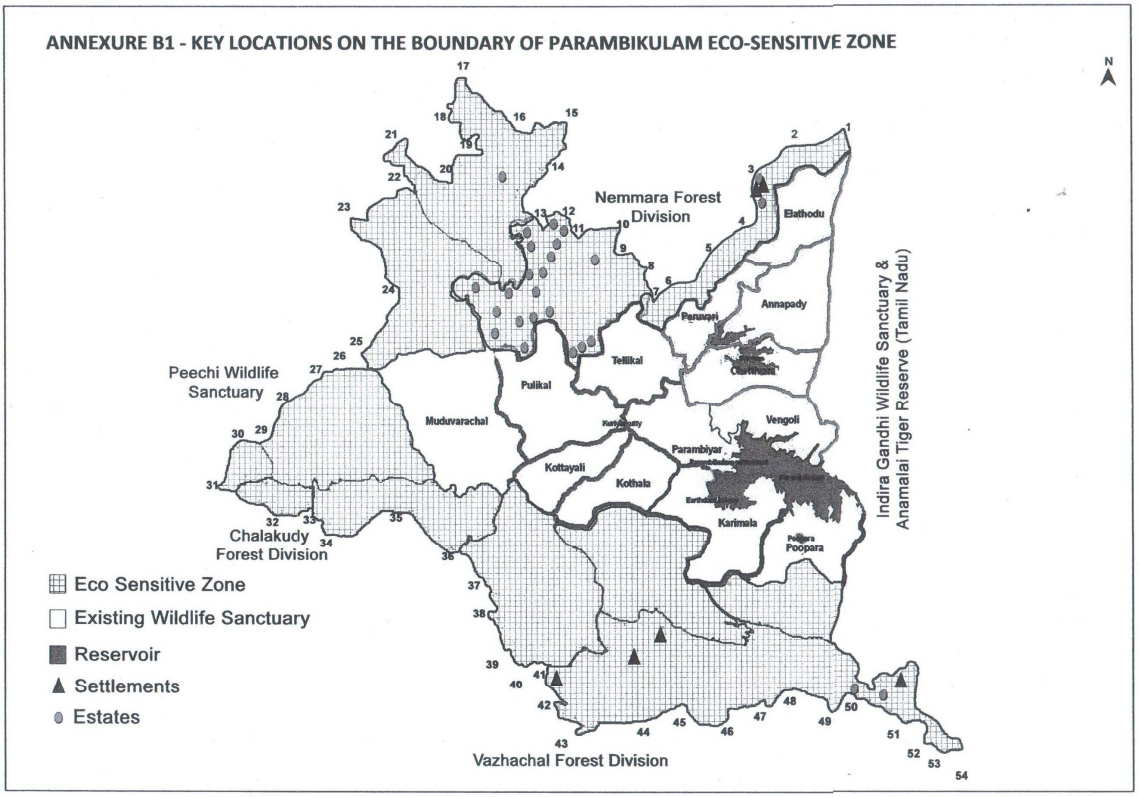

The Longitudes and Latitudes of the key locations in the boundary of Eco-Sensitive Zone

Location on the map	Latitude	Longitude
1	10.5465	76.8435
2	10.5425	76.8151
3	10.5295	76.7898
4	10.5086	76.7862
5	10.4906	76.7680
6	10.4751	76.7456
7	10.4702	76.7345
8	10.4806	76.7314
9	10.4896	76.7152
10	10.4996	76.7172
11	10.4966	76.6959
12	10.5051	76.6909
13	10.5051	76.6706
14	10.5285	76.6807
15	10.5524	76.6909
16	10.5495	76.6640
17	10.5754	76.6346
18	10.5524	76.6255
19	10.5390	76.6437
20	10.5255	76.6275
21	10.5405	76.5971
22	10.5210	76.6077
23	10.5061	76.5747
24	10.4707	76.5976
25	10.4437	76.5788
26	10.4367	76.5834
27	10.4370	76.5681
28	10.4330	76.5575
29	10.4200	76.5403
30	10.4016	76.5256
31	10.4006	76.5139
32	10.3796	76.5022
33	10.3657	76.5347

Location on the map	Latitude	Longitude
34	10.3692	76.5524
35	10.3557	76.5616
36	10.3677	76.5986
37	10.3482	76.6249
38	10.3343	76.6462
39	10.3218	76.6488
40	10.3009	76.6549
41	10.2924	76.6645
42	10.2954	76.6787
43	10.2799	76.6843
44	10.2645	76.6888
45	10.2694	76.7304
46	10.2759	76.7512
47	10.2689	76.7761
48	10.2769	76.7933
49	10.2839	76.8126
50	10.2729	76.8303
51	10.2779	76.8440
52	10.2670	76.8694
53	10.2550	76.8897
54	10.2505	76.9018

ANNEXURE-III

LIST OF VILLAGES, RESERVED FORESTS, TRIBAL SETTLEMENTS AND ESTATES IN ECO-SENSITIVE ZONE

Sl.No	District	Taluk	Village	Status (Partial/Full)
1	Palakkad	Chittur	Muthalamada	Part
2			Nelliampathy	Part
3	Thrissur	Mukundapuram	Kuttichira	Part
4			Kodassery	Part
5			Vellikulangara	Part
6			Pariyaram	Part

DETAILS OF RESERVED FORESTS IN PARAMBIKULAM ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No	District	Name of Reserved Forests	Extent (Sq.Km)	Date of Notification	Administrative Control
1	Palakkad	Nelliyampathy RF	133.04	8.5.1909 Vol. XL111] [Page No.556	Divisional Forest Officer, Nemmara
2		Estates coming under Nemmara side	23.10		Divisional Forest Officer, Nemmara
3		Villages coming under Nemmara side	0.61		Divisional Forest Officer, Nemmara
4	Thrissur	Kodassery Unsurveyed Reserve	53.65	16th September 1909 Cochin Government Gazette	Divisional Forest Officer, Chalakkudy
5		Athirappilly Reserve	215.75		Divisional Forest Officer, Vazhachal
6		Kodassery Reserve			
7		Estate areas coming under Vazhachal side	8.14		Divisional Forest Officer, Vazhachal
8		Villages coming under Athirappaly and Kodasery reserve of Vazhalachal Division	0.68		Divisional Forest Officer, Vazhachal
	Total		**434.97**		

LIST OF TRIBAL SETTLEMENTS IN PARAMBIKULAM ECOSENSITIVE ZONE

Sl. No.	Name of Settlement	Name of the Tribe	Area (in Ha)	No. of Families	GPS	
					Latitude	Longitude
1	Allimooppan Colony	Kadar, Irular, Malassar	28.26	84	10.522714	76.795385
2	30 Acre Colony	Kadar, Malassar	33.00	240	10.518786	76.798003
3	Sholayar Power House	Kadar	2.12	43	10.310788	76.741765
4	Thavalakuzhipara	Malayan	14.66	39	10.288795	76.678477
5	Malakkappara	Kadar	50.00	43	10.288055	76.872512
6	Anakayam	Kadar	1.90	13	10.303952	76.728672

LIST OF ESTATES IN PARAMBIKULAM ECOSENSITIVE ZONE

Sl. No.	**Name of Estate**	**Areas (ha)**	**Present Status**	**Plantation**
1	Padagiri	2.465	Lease	Pepper and coffee
2	Pothundi	164.601		Pepper and coffee
3	Pothupara	136.061		Pepper and coffee
4	Suryappara	236.035		Pepper and coffee
5	Lilly	86.434		Pepper and coffee
6	Karadimala	110.391		Pepper and coffee
7	Oriental	192.875		Pepper and coffee
8	East Pullala	40.752		Coffee
9	West Pulllala	56.369		Pepper and coffee
10	15 Acre Estate	6.000		Rubber, Coffee, and Pepper
11	Rosary Estate	99.786	Vested to Government	Rubber, Coffee Pepper, and Cardamom.
12	Victoria	250.683		Cardamom
13	Beatrice	190.301		Coffee, pepper and Cardamom
14	Meera Flores Estate	133.324		Coffee, pepper, and cardamom
15	Thuthanppara	142.19		Coffee and Pepper
16	Poovamkadavu Estate	48.56		Coffee, Pepper, Rubber and Coconut

17	Karappara A & B	452.637	Retrieving process pending	Coffee, pepper, and cardamom
18	Alexandria	378.203		Cardamom, Coffee, and Pepper
19	Rajakad (Thottakady)	116.895		Cardamom, Coffee, and Pepper
20	Manguth	116.571		Cardamom, Coffee, and Pepper
21	Brookeland	101.173		Coffee and Pepper
22	KFDC (Pakuthipalam)	123.00	Under KFDC	Coffee, pepper and Cardamom
23	KFDC (Pothumala)	105.00		Coffee, pepper and Cardamom
24	Cherunelly	112.50	Retrieving process pending	Coffee, Pepper and Rubber
25	Malakkappara	778.54	Lease	Rubber, coffee and Tea
26	Perumpara	35.180		Rubber, coffee and Tea

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure;
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as annexure;
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification of 2006. Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification of 2006. Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.